राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1145/2024

वेद प्रकाश नरूका **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिडेट, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिडेट, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (डीसीसीपीपी), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिडेट, धौलपुर।
5. हीरा मन प्रजापत, सहायक अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (आरजीटीपीपी), रामगढ़, जिला जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.03.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियन्ता के पद पर सी. ई. (डीसीसीपीपी) धौलपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्य अभियन्ता (सीटीपीपी–ओ एंड एम), छबड़ा, बारां एक माह की अल्पावधि में 300 कि.मी. दूर कर दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय शर्मा बनाम राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के विपरीत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को 90 दिनों की अवधि के लिए सी.ई. (एसटीपीएस) सूरतगढ़ में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा 90 दिन पुरे होने के बाद अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान के लिए मुक्त कर दिया गया। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 01.03.2023 को कार्यग्रहण कर लिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ॰ संजय प्रभुने बनाम राजस्थान राज्य में

पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 एवं माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 766/2020 जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2020 का उद्धरण देकर ऐसे अल्पावधि में किए गए स्थानान्तरण को अनुचित माना है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, पचगांव (धौलपुर) में कार्यरत है (अनुलग्नक–3)। राज्य सरकार के जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में होने पर यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थापित करने एवं आस–पास पदस्थापित रखे जाने का प्रावधान है (अनुलग्नक–4)। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 40/2024 फोरेन्टा बाई मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.01.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा आलौच्य आदेश को अपास्त किया गया है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध है अपीलार्थी के पिताजी ह्रदय रोग से पीड़ित है, उनकी बायपास सर्जरी पहले ही हो चुकी है, जिनका लगातार अलवर में इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी स्वयं बी.पी. एवं शुगर की बीमारी से पीडित है। अपीलार्थी के बच्चे नाबालिग है और वे वर्तमान में धौलपुर में पढ रहे है तथा अपीलार्थी का सत्र के मध्य में स्थानान्तरण हो गया है। अपीलार्थी के बच्चे की पढाई भी प्रभावित होगी।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण सी.ई. (डीसीसीपीपी) धौलपुर से मुख्य अभियन्ता (सीटीपीपी–ओ एंड एम), छबड़ा, बारां किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर पूर्व में दिनांक 01.04.2015 से 24.11.2022 तक पदस्थापित रहा है एवं वर्तमान में दिनांक 01.03.2023 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता एवं कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य